उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्याः 198–उनिलि / रिफार्म / विनियम(विभा0चय0):197–197.15 / 2021 दिनांकः 27 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 18 अक्टूबर 2021 को सम्पन्न 197वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्याः– 197.15 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ज्येष्ठता आधारित चयन में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया तथा प्रोन्नति के लिये होने वाले चयन में बन्द लिफाफे की कार्यवाही का प्रयोग करने आदि की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में लागू निम्नलिखित आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों को उत्पादन निगम की सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में यथावत् लागू किया जाता है :–

(क) कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1200–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 19–14–काविनी / 87 (एम.एफ.) दिनांक 16.10.2021 **(संलग्नक–1)**।

(ख) कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1201–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 19–14–काविनी / 87 (एम.एफ.) दिनांक 16.10.2021 **(संलग्नक–2)**।

2– उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्थायें चयन वर्ष 2021–22 से लागू होगीं तथा पूर्व में लिये गये निर्णयों को पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 198–उनिलि / रिफार्म / विनियम(विभा0चय0):197–197.15 / 2021 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0 / परियोजना एवं वाणिज्य / तकनीकी / वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव / स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, अनपरा / ओबरा / पारीछा / पनकी / हरदुआगंज / जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ, एटा।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को सम्पन्न 197वीं बैठक में प्रस्तुत आइटम संख्या –197.15 में लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06)/उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–02)/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

27/10/21

(तरूण कुमार जैन)
अधीक्षण अभियंता

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0 1200 –का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पाकालि/19–14–काविनी/87(एम.एफ.) दिनांक 16 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता आधारित चयन में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया विषयक परिषदादेश सं0 1327–काविनी/राविप–29/96–14–काविनी/87 दिनांक 11.07.1996 सपठित आदेश सं0 21–काविनी–(29)/पाकालि/06–14–काविनी/87(टीसी) दिनांक 09.01.2006 के प्रस्तर–2 (*शीर्षक– चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना*) में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त एतद्द्वारा निम्नवत् प्राविधानों को भी सम्मिलित किया जाता है :–

''(अ) उक्त के साथ निम्नांकित परिस्थितियों में भी कार्मिक "अनुपयुक्त" की श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेगें :–

(1) आलोच्य अवधि में 3 अथवा 3 से अधिक वृहद दण्ड प्राप्त होने पर।

(2) चयन वर्ष के ठीक पूर्व के चयन वर्ष में किसी कार्मिक को वृहद दण्ड प्रदान किया गया है।

(3) चयन वर्ष में चयन किये जाने की तिथि तक यदि किसी कार्मिक को वृहद दण्ड प्रदान किया गया है।

(ब) चयन सम्पन्न हो जाने के पश्चात् वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति हेतु अर्ह होने की तिथि तक यदि किसी प्रकरण में वृहद दण्ड मिल जाता है तो उक्त कार्मिक को उस चयन वर्ष में जिसके अन्तर्गत वह चयनित किया गया है, प्रोन्नत नहीं किया जायेगा एवं उसका चयन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। ''

2. उपर्युक्त प्राविधान चयन वर्ष–2021–22 से प्रभावी होंगे तथा पूर्व में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नही किये जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 1200–(I)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0वि0उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग एवं जाँच समिति, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
उप सचिव (काविनी)

32/

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0 1201 -का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पाकालि/19-14-काविनी/87(एम.एफ.) दिनांक 16 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन सेवकों की प्रोन्नति हेतु चयन में उन्हें अवक्रमित करने, बन्द लिफाफे की कार्यवाही का प्रयोग करने आदि की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक परिषदादेश सं0 1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87 दि0 08.10.1997 के प्रस्तर-7(ग) (**शीर्षक**-''अंशतः या पूर्णतः दोषी पाये जाने की दशा में'') में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त एतद्द्वारा निम्नवत् प्राविधानों को भी सम्मिलित किया जाता है :-

" विगत चयन वर्ष/वर्षों में चयन प्रकरण में बनाये गये मुहरबन्द लिफाफे से सम्बन्धित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण का निस्तारण वर्तमान चयन वर्ष में यदि वृहद दण्ड प्रदान करते हुए किया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में कार्मिक "अनुपयुक्त" की श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेगें। "

2. उपर्युक्त प्राविधान चयन वर्ष-2021-22 से प्रभावी होंगे तथा पूर्व में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 1201-(I)-का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0वि0उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग एवं जाँच समिति, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
उप सचिव (काविनी)